(34)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक 1651–पीबीआर/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 8–4–2015 पारित द्वारा न्यायालय नायब तहसीलदार, खरगोन, प्रकरण क्रमांक 5/अ–13/14–15

.....

1–शिवराम पिता गंगाराम पाटीदा

2–रामेश्वर पिता छोट्या पाटीदार

निवासीगण ग्राम डालका तहसील खरगोन

..... आवेदकगण

विरूद्ध

गोविन्द पिता गंगाराम पाटीदार

निवासी ग्राम डालका तहसील खरगोन

..... अनावेदक

.....

श्री मुकेश तारे, अभिभाषक–आवेदकगण

श्री विशाल शर्मा, अभिभाषक–अनावेदक

.....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 9/4/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय नायब तहसीलदार, खरगोन द्वारा पारित आदेश दिनांक 08–04–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार खरगोन के समक्ष संहिता की धारा 131 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र

प्रस्तुत किया गया कि उसके स्वामित्व व आधिपत्य की ग्राम सिकंदरपुरा स्थित भूमि सर्वे कमांक 109/2/2 रकबा 0.120 हेक्टेयर एवं सर्वे कमांक 109/4 रकाब 2.023 हेक्टेयर भूमि है । उक्त भूमि पर जाने हेतु वर्षो से पुराना रास्ता है जिसे आवेदकगण द्वारा कटीली बागंड रखकर बन्द कर दिया गया है, अतः रास्ता खुलवाया जाये । साथ ही संहिता की धारा 32 के अन्तर्गत अंतरिम रूप से रास्ता खुलवाये जाने का आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 5/अ–13/13–14 दर्ज कर दिनांक 8–4–15 को अंतरिम आदेश पारित कर प्रश्नाधीन रास्ता खाले जाने के निर्देश आवेदकगण को दिये गये । तहसीलदार के इसी अंतरिम आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक के लिये वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होने के बावजूद भी अंतरिम रूप से रास्ता खोले जाने का आदेश देने में तहसील न्यायालय द्वारा अवैधानिकता अथवा अनियमितता की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रकरण में राजाराम हितबद्ध पक्षकार था क्योंकि उसकी भूमि में से भी अनावेदक द्वारा रास्ते की सहायता चाही गई है । इसके बावजूद भी तहसील न्यायालय द्वारा उसे पक्षकार नहीं बनाने में अवैधानिकता की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि मौके पर स्थल निरीक्षण में प्रश्नाधीन रास्ते के निशान नहीं पाये गये हैं और अनावेदक के आवेदन पत्र में ही मुख्य मार्ग से अपनी कृषि भूमि पर पहुॅचने का उल्लेख है । इस आधार पर कहा गया कि अनावेदक के पास वैकल्पिक रास्ता होने के बावजूद भी आवेदकगण की भूमि में से रास्ता देने में घोर अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है । उनके द्वारा तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक की भूमि पर जाने हेतु प्रश्नाधीन मार्ग के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा अभी

अंतरिम आदेश पारित कर अंतरिम रूप से रास्ता खोला गया है और प्रकरण में अभी अंतिम आदेश पारित किया जाना है जहॉ आवेदकगण को पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है जहॉ वे साक्ष्य व दस्तावेज से प्रश्नाधीन रास्ता नहीं होना प्रमाणित कर सकते हैं । अतः यह निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाये ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा विधिवत् स्थल निरीक्षण किया जाकर प्रारंभिक तौर पर यह पाते हुये कि मौके पर रास्ता उपलब्ध है जिसे आवेदकगण द्वारा अवरूद्ध किया गया है, रास्ता खोले जाने का आदेश दिया गया है । अतः तहसील न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश में इस स्तर पर हस्तक्षेप किया जाना वैधानिक एवं न्यायिक दृष्टि से उचित नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर नायब तहसीलदार, खरगोन द्वारा पारित आदेश दिनांक 08–04–2015 स्थिर रखते हुये तहसीलदार को निर्देश दिये जाते हैं कि वे दो माह में प्रकरण का अंतिम निराकरण करें ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर